283

I/निगरानी/छतरपुर/भू-रा/2017/2630

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, (म0प्र0)

निगरानी सन्

फुल टायम कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0

द्वारा महाप्रबन्धक विक्रम भार्गव पिता स्वतन्त्र कुमार भार्गव

निवासी पहरापुरवा तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म0प्र0) .....निगरानीकर्ता

बनाम

रमाकान्त तनय मोहनलाल कुशवाहा

निवासी पहरा पुरवा तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) .....उत्तरवादीगण

निगरानी धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959
विरूद्ध तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्र. 29/अ/12/17–18 में पारित आदेश दिनांक 19/07/2017

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :–

(1) यह कि निगरानीकर्ता की भूमि खसरा नं. 854, 855 रकवा 3.236 हे0 स्थित ग्राम पहरा पुरवा विवादित भूमि ख0नं0 852/2 व 857/2 की सीमा से लगी भूमि है। जिस पर निगरानीकर्ता का कब्जा लगभग 4 वर्ष पूर्व से तब से है जब निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि पूर्व भूमि स्वामी से क्रय की गयी थी। पूर्व में उक्त भूमि पर पूर्व विक्रेता श्रीमती परम देवी त्रिपाठी का कब्जा रहा है। परम देवी त्रिपाठी द्वारा जो भूमि निगरानीकर्ता के कब्जे में दी गयी थी उसी भूमि पर वर्तमान में निगरानीकर्ता का कब्जा है।

(2) यह कि निगरानीकर्ता बाहरी व्यक्ति है इस कारण उत्तरवादीगण स्थानीय लोगों से मिलकर निगरानीकर्ता की भूमि पर जबरन परेशान कर कब्जा करने की धमकी देते रहते हैं तथा अनावश्यक धन ऐंठने का प्रयास करते हैं। दिनांक 18.07.2017 को उत्तरवादीगणें ने रा.नि. व तहसीलदार से सांठ गांठ कर बगैर स्थल पर गये तथा निगरानीकर्ता को सूचित किये बगैर ही सीमांकन कराकर प्रश्नाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से पारित करा लिया है तथा सीमांकन में आवेदक की भूमि ख.नं. 855 के रकवा 1 एकड़ पर अपना कब्जा बताने लगा तथा रा.नि. द्वारा एक पक्षीय रूप से बगैर उपयुक्त नाप के पत्थर गड़वा दिये हैं जिसकी सूचना आवेदक निगरानीकर्ता को नहीं दी गयी है। सूचना

क्रमशः 2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2630

फुल टायम कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि. विरूद्ध रमाकांत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019 3	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्रमांक 29/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 19-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 21.01.19	